23 उनवान सम्पत बनाम तहसीलदार देवली

नम्बर अहलकार की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक (राज.)

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :–368/2024 निर्णय दिनांक :– 19.02.2024

1. सम्पत लाल सोयल पुत्र हरचन्द सोयल जाति खटीक उम्र बालिग तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट उपधारा (1), 209, आरटी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय न्यायालय में दिनांक 15.02.2024 को पेशी तारीख पर में पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 696/466 रकबा 0.39 है0 वाके तनग्राम रुपारेल पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोंक में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। प्रार्थी की उक्त भूमि के आस पास की स्थिति का नजरी नक्शा अन्य दस्तावेज के साथ लगाया गया है। नजरी नक्शे में तनग्राम रुपारेल के खसरा नम्बर 464 रकबा 0.35 है0 गै0मु0 सड़क एवं खसरा नम्बर 465 रकबा 0.11 है0 बंजड़ भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 464 से बंजड़ भूमि खसरा नम्बर 465 में से होकर वर्षो से आता–जाता रहा है तथा वर्तमान में भी उपयोग कर रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहा है। प्रार्थी की भूमि पड़त रह जाती है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये सड़क खसरा नम्बर 464 से बंजड भूमि खसरा नम्बर 465 में से होकर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थी की उक्त आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया गया जा सकता। हॉ, यह सही है कि प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता रिकॉर्डेड रास्ते से जूड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 465 में लम्बाई 08 मीटर व चौडाई 10 मीटर कुल क्षेत्रफल 80 वर्गमीटर प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.0080 है0 अर्थात 80 वर्गमीटर है। रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 563318/– प्रति हैक्टेयर जिसकी एक गुणा कुल राशि 4507 व दुगुनी 9014 रुपये है। प्रस्तावित भूमि आबादी भूमि के समीप व सिंचित है प्रस्तावित भूमि राजमहल–देवली डामर सड़क पर स्थित है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी खसरा नम्बर 464 में से रास्ता चाहता है। जिसे लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में अंकित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई दीवार, संरचना, पेड़ इत्यादि नही है। अप्रार्थी रास्ता देने हेतु सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है और प्रस्तावित रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके कारण प्रार्थी को अपने आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थीगण इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि रिपोर्ट मौका देखकर तैयार की गई है, और रिपोर्ट उचित है। वर्तमान में ग्राम रुपारेल की 563318/– प्रति हैक्टेयर है। डीएलसी के आधार पर 9014 रूपये बनते है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन कियागया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता अत्यन्त बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व इत्यादि नही बताया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 696/466 रकबा 0.39 है0 है। प्रार्थी की भूमि से पूर्व सिवायचक बंजड़ भूमि ख0नं0 465

Scanned with OKEN Scanner

कबा 0.11 है0 दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें से प्रार्थी रास्ता चाहता है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट व बहस में सिवायचक भूमि से रास्ते बाबत् कोई आपति व्यक्त नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता जिसकी चौड़ाई 10 मीटर एवं लम्बाई 08 मीटर अर्थात 80 वर्गमीटर क्षेत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 9014/- अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावें।

न्यायालय में निर्णय सरे इजलास दिनांक 19.02.2024 को सुनाया गया।

19/2/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली, (टोंक)